



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-02052026-272205
CG-TL-E-02052026-272205

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2094]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 2, 2026/वैशाख 12, 1948

No. 2094]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 2026/VAISAKHA 12, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 01 मई 2026

का.आ. 2175(अ).— केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में 29.01.2026 को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 421 (ई), 29.01.2026 की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का.सं. 393 के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य में बापट्ला जिले के वेस्ट बापट्ला गांव और बापट्ला मंडल में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् 3000एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी के कर्षण प्रणाली में उन्नयन कार्य – वजयवाडा और ओंगोल सेक्शन में बापट्ला टीएसएस का निर्माण के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक समाचारपत्रों, "एबीएन आंध्र ज्योति (तेलुगु)", "साक्षी(तेलुगु)", "द टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)" और "डेक्लन क्रॉनिकल (अंग्रेजी)" में 4 फरवरी, 2026 को के.सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर, निर्माण- III, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया था;

और जबकि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, बापट्ला को धारा 20डी

आपत्तियां प्राप्त हुई और रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 20डी के उप-धारा(2) अंतर्गत इनपर विचारोपरान्त आपत्तियों को अस्वीकार किया गया.

और तदनुसार आदेश पारित किए गए. एवं जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

अनुसूची

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य- आंध्र प्रदेश राज्य में बापट्ला जिले के बापट्ला मंडल के वेस्ट बापट्ला गांव में सर्वेक्षण सं.363-1बी और 372-1बी में एकड़2.51 सेंट भूमि का विजयवाडा –ओंगोल सेक्शन में बापट्ला टीएसएस का निर्माण.

क्र. सं.	मंडल का नाम	गांव का नाम	अधिग्रहण प्रस्ताव के अनुसार सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार (सरकारी/निजी आदि)	भूमि की प्रकृति (आर्द्र/शुष्क)	अनुमानित क्षेत्र (एकड़)	अनुमानित क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	पट्टादार/एं जाँयर का नाम
1	बापट्ला	वेस्ट बापट्ला	363-1बी	निजी भूमि	शुष्क	1.78	0.720	7203.404	मुक्ति सेनादल
2	बापट्ला	वेस्ट बापट्ला	372-1बी	सरकारी हस्तांतरण भूमि	शुष्क	0.73	0.295	2954.205	मुक्ति सेनादल
कुल						2.51	1.015	10157.609	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/Bapatla/20E]

के.सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 1st May, 2026

S.O. 2175(E). — Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 421(E), dated 29.01.2026 published in the Gazette of India vide Gazette No.393 Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 29.01.2026 (herein Preliminary Notification) issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of the Special Railway Project namely, "Construction of Bapatla TSS in Vijayawada-Ongole section for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target" in west Bapatla Village & Bapatla Mandal in Bapatla District in the state of Andhra Pradesh.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “ABN Andhra Jyothi (Telugu),” “Sakshi (Telugu),” “The times of India(English),” and Deccan chronicle (English)” on 4th Feb,2026 with the approval of K.Suryanarayana, Chief Engineer, Construction-III, South Central Railway, Secunderabad.

And, whereas Competent Authority for LA namely, Revenue Divisional officer, Bapatla received objections U/s 20D and after completion of enquiry disallowed the objections under Sub-section(2) of section 20-D of Railway Act 1989.

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of lands in Acquisition: For “Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25KV to 2x25 KV traction system to meet 3000MT loading target- Construction of Bapatla TSS in Vijayawada-Ongole section” in west Bapatla Village in Sy.no.363-1B&372-1B of an extent of Ac.2.51Cts in Bapatla Mandal in Bapatla District in the state of Andhra Pradesh.

S.No	Name of the Mandal	Name of the village	Sy.No.as per the requisition proposals	Type of land (Govt/ Pvt,etc)	Nature of land (Wet/ Dry)	Tentative Area (Acres)	Tentative Area (Hectares)	Tentative Area (Sq.Mts)	Name of the Pattadar/ Enjoyer
1	Bapatla	West Bapatla	363-1B	Pvt. Land	Dry	1.78	0.720	7203.404	Salvation Army
2	Bapatla	West Bapatla	372-1B	Govt. Alienation Land	Dry	0.73	0.295	2954.205	Salvation Army
Total						2.51	1.015	10157.609	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/Bapatla/20E]

K.SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-III